



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274369
CG-DL-E-11072026-274369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3606]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3606]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3768(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1502(E) तारीख 23/03/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में NH731B के कि.मी. 0.000 से कि.मी.49.200 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01/05/2026 को "दि टाइम्स आफ इंडिया " और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में NH731B के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 49.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: जौनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मछलीशहर					
गांव का नाम: बरावां					
1	387/1034	निजी	कृषि	0.073	सत्यनारायण पुत्र रामलोलारख जगनरायन पुत्र राममुरित कृष्णा पत्नी हुबनारायण व अजय कुमार इन्द्रेश कुमार चन्द्रेश आशीष पुत्रगण हुबनारायण 387/1034
2	729	निजी	कृषि	0.008	अफकाहमद पुत्र मुजीबुल्लाह, कजसवाहसन पुत्र एम हसन, मकसूद अहमद पुत्र मुजीबुल्लाह, अमन अहमद, एहसान मो. रहमान, इमरान नसीम जहान पुत्र नसीम अहमद शमीम अहमद शकील अहमद, जमील अहमद सईद अहमद वकील अहमद जावेद अहमद परवेज अहमद पुत्र सैयद अहमद जुवैदा बेगम पत्नी सैयद अहमद रईस अहमद हसीन अहमद समद

					अहमद पुत्र नजीबुल्ला, हासमी खातून पत्नी नजीबुल्ला 729
				Total	0.081

[फा. सं. CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3768(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1502(E) Dated:23/03/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), Maintenance, management and operation of NH731B in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 49.200 in the district of JAUNPUR in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Times of India**” and “**Amar Ujala both dated 01/05/2026**”, ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH731B in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 49.200 in the district of JAUNPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: JAUNPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Machhlishahr					
Village: Barawan					
1	387/1034	Private	Agriculture	0.073	Satyanarayan s/o Ramlolarakh, Jagnarayan s/o Rammurit, Krishna wife of Hubnarayan and Ajay Kumar, Indresh Kumar,

					Chandresh, Ashish s/o Hubnarayan 387/1034
2	729	Private	Agriculture	0.008	Afka hamad s/o Mujibullah qajsawahasan s/o AM. Hasan Maqsood Ahmad s/o Mujibullah Aman Ahmad, Ehsan Mo. Rehman, Imran Naseem Jahan s/o Naseem Ahmad, Shamim Ahmad, Shakeel Ahmad Jameel Ahmad, Saeed Ahmad, Wakil Ahmad, Javed Ahmad, Parvez Ahmad s/o Syed Ahmad Zubaida Begum w/o Syed Ahmad Raees Ahmad, Haseen Ahmad, Samad Ahmad s/o Najibullah, Hasmi Khatoon wife of Najibullah 729
Total				0.081	

[F. No. CE-RO/NH(O)/NH-731B/2021-22/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director